कार्यालय जिलाधिकारी,महोबा।

(खनन अनुभाग)

संख्याः–   /एम0एम0सी0–30–ई–टेण्डर–(2017–18),   दिनांक   /   / 2017

ई–निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नदी तल में उपलब्ध जनपद–महोबा के निम्नलिखित बालू/मोरम के रिक्त खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या–715/86–2017–57 (स)/2017 दिनांक 22.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार 6 माह की अल्प अवधि के लिए ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है। बालू/मोरम के इन क्षेत्रो के लिये दिनांक 12.05.2017 के 05.00 बजे अपरान्ह तक ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

रिक्त क्षेत्रो का विवरणः–

क्र0 सं0	तहसील	ग्राम	खण्ड संख्या	क्षेत्रफल **(एकड़)**	सीमाये				खनिज का नाम	खनन योग्य अनुमानित खनिज का भण्डार **(घनमीटर में)**
					उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कुलपहाड़	पिपरी भडवारा कनौरा गडौरा (आंशिक)	1	5.00	दुलारा गडौरा	भरियापुरा	गडौरा भडवारा	कनौरा पिपरी	बालू/मोरम	1600.00
2	''	गडौरा(आंशिक) दुलारा टोलापातर रिवई	2	8.00	परापातर	गडौरा कनेरा	दुलारा रिवई गडौरा	दुलारा टोलापातर रिवई	बालू/मोरम	3000.00
3	''	टिंगरा पहाड़िया इटौरा बुजुर्ग चन्दनहास	3	10.00	बिजरारी महुआ इटोरा	कुनाटा	इटौरा बुजुर्ग	चन्दनहास पहाड़िया टिंगरा	बालू/मोरम	4000.00
4	''	बिजरारी महुआइटौरा	4	6.00	कोनिया	इटौरा बुजुर्ग	महुआ इटौरा	बिजरारी	बालू/मोरम	2500.00
5	''	कोनिया	5	3.00	छतेसर	बिजरारी महुआइटौरा	कोनिया	कोनिया	बालू/मोरम	1500.00
6	''	छतेसर जमाला सिकन्दरपुरा गहलौद सेंगरपुरा धुरवासमऊ पहाड़पुरा	6	7.00	कसारी नौगांव	कोनिया	जमाला गहलौद धुरवासमऊ पहाड़पुरा	पहाड़पुरा सेंगरपुरा सिकन्दरपुरा छतेसर	बालू/मोरम	3000.00
7	''	नौगांव कसारी नकरा	7	7.00	जिला हमीरपुर	पहाड़पुरा	नौगांव नकरा	कसारी नकरा	बालू/मोरम	3500.00
8	महोबा	अतरार इमीलिया कैमाहा जिवरैया– खिवरैया डिगरिया सिजरिया	8	5.00	अतरार इमीलिया कैमाहा जिवरैया– खिवरैया डिगरिया सिजरिया	जनपद– छतरपुर	जनपद– छतरपुर	जनपद– छतरपुर	बालू/मोरम	3000.00

2– खनन अनुज्ञा पत्र की अवधि 06 माह होगी जिसमें मानसून सत्र (दिनांक 01.07.2017 से 30.09.2017 तक) में खनन नहीं किया जायेगा। बाधित अवधि के कारण 6 माह की अधिकतम अवधि में कोई विस्तार भी अनुमन्य नहीं होगा।

3– कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय, जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा निर्धारित प्रारूप–2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होगी :–

क विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।

ख विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक।

ग उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है जिसमें निम्न हो–

उपखनिज का नाम–

तहसील का नाम–

खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम–

खण्ड संख्या–

क्षेत्रफल (एकड़ में)–

विज्ञप्ति में दी गई खनन योग्य भण्डार की मात्रा (घनमीटर में)–

घ. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाइल नं0। (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा–वोटर आईडी/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेन्स/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)।

ड. खनिज के प्रति घनमीटर के लिये दी जाने वाली रायल्टी की दर उस खनिज के लिये उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर रू0 150 प्रति घनमीटर से कम नहीं होगी।

च खनन योग्य भण्डार की मात्रा (घनमीटर) को नियमावली 1963 की अनुसूची–1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी की दर से गुणाकर जो धनराशि आयेगी उसका 75 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी महोबा के पक्ष में अग्रिम के रूप में दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने के पूर्व दिनांक 12.05.2017 के 5:00 बजे अपरान्ह तक उपलब्ध करानी होगी। प्रत्येक क्षेत्र की ई–निविदा हेतु पृथक–पृथक बैंक ड्राफ्ट जमा किया जाना अनिवार्य होगा। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित दिनांक 12.05.2017 के 5:00 बजे अपरान्ह तक जमा नहीं होगा उसकी ई–निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

छ खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र।

ज उस जिले के जिलाधिकारी, जहॉ वह स्थायी रूप से निवास करता हो, द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र।

झ पैन कार्ड एवं फोटो युक्त पहचान पत्र।

4 ई–निविदा आमंत्रण सूचना दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों (दैनिक जागरण एवं अमर उजाला) में प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवसो के अन्दर यानि दिनांक 12.05.2017 के 05 बजे अपरान्ह तक ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जायेगी।

5 यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारर्पोरेशन लि0 लखनऊ को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई–टेण्डरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नाकिंत कार्यवाही करनी होगीः–

(क) ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करना होगा।

(ख) ई–टेण्डर पोर्टल पर विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन यू0पी0इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा।

(ग) विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई–टेण्डर पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

6 निविदाकार द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई–टेण्डर पोर्टल पर करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी।

i. सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर लॉगिंग आई0डी0 (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।

ii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई–टेण्डर पोर्टल पर किया जाना होगा।

iii. निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेण्डर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Participate) करने हेतु क्लिक करना होगा।

iv. निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा सम्बन्धित सभी जानकारी को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोडकर उसके प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।

v. निविदाकार द्वारा निविदा के समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा का ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर–3 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखो, दस्तावेजो की स्कैण्ड कॉपी कर पी0डी0एफ0 फाईल बनायी जानी होगी।

vi. ई–टेण्डर डाक्यूमेंट्स की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजो की पी0डी0एफ0 फाईल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा "पे ऑफ लाईन" (Pay Offline) विकल्प पर क्लिक करने पर एग्रीमेन्ट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री–सबमिट (I Agree Submit) पर क्लिक करना होगा।

vii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा अग्रिम धनराशि से सम्बन्धित कालम में बैंक ड्राफ्ट की धनराशि, बैंक ड्राफ्ट का नं0, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियॉ भरने के बाद उसको Save कर लिया जायेगा।

viii. निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर क्लिक करना होगा जिससे कि अग्रिम धनराशि को टेण्डर के साथ जमा किये जाने से सम्बन्धित कार्य पूर्ण माने जायेंगे।

ix. यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गई वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई निविदा/बिड्स में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आईकन में क्लिक कर पुनः ई–निविदा पूर्व प्रक्रिया को अपनाते हुए रि–बिड सबमिशन (Rebid Submission) पर क्लिक कर पुनः सबमिट(Submit) कर सकते है। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेण्डर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गई निविदा (Last Submit Bid) ही ई–टेण्डर पोर्टल पर अनुमन्य होगी। पूर्व में प्रस्तुत की गयी बिड्स अनुमन्य नहीं होगी।

7 बिन्दु संख्या–3 में उल्लिखित वांछित अभिलेखो तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखो की मूलप्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूलप्रति निविदा खोले जाने से पूर्व यानि दिनांक 12.05.2017 के 05 बजे अपरान्ह तक जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, क्षेत्र का क्रमांक अंकित करना होगा।

8 विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित 07 कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस यानि दिनांक 15.05.2017 को 11:00 बजे पूर्वान्ह में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा निविदाकारों की उपस्थिति में खोला जायेगा।

9 क्षेत्र से निकासी किये जाने वाले खनिज की प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली **सर्वोच्च दर** के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के खनन अनुज्ञा–पत्र के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन अनुज्ञा–पत्र हेतु सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा।

10 उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य आवेदको द्वारा प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

11 जिलाधिकारी को कोई कारण बताये बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

12 ई–टेण्डर साईट का उपयोग करने के लिये Pentium-iv अथवा उच्च विशिष्टियां युक्त कम्प्यूटर तथा ब्रॉड बैण्ड इण्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। इसके लिये इण्टरनेट केन्द्र की सेवायें ली जा सकती है।

13 जिला स्तर पर ई–टेण्डरिंग से सम्बन्धित टेण्डर्स अपलोड किये जाने, टेण्डर्स खोले जाने इत्यादि कार्यो हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण/प्रशिक्षण हेतु यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 10, अशोक मार्ग, लखनऊ से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

14 खनन क्षेत्र अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कलेक्ट्रेट–महोबा स्थित जिला खनन कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

15 सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा–पत्र हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा। सक्षम अधिकारी के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत करते समय खनन योग्य आंकलित मात्रा हेतु माइनिंग प्लान/स्कीम बनाते हुये आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

16 यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र में दी गयी खनिज निकासी की मात्रा क्षेत्र के लिये आंकलित खनन योग्य भण्डार से कम होती है, तब पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र में अंकित खनिज निकासी की मात्रा तक ही अनुज्ञा पत्र की अवधि के लिये क्षेत्र से खनिज की निकासी हेतु प्रभावी होगी। उस मात्रा के आधार पर ई–निविदा में दी गयी दर को गुणाकर वास्तविक देय धनराशि निकाली जायेगी। अग्रिम के रूप में जमा 75 प्रतिशत की धनराशि को समायोजित करते हुये शेष धनराशि अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।

17 पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र–एम0एम0–10 पर खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा। तत्पश्चात ही खनन कार्य प्रारम्भ करेगा।

18 अनुज्ञा पत्र धारक पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन ही खनन संक्रिया सम्पादित करेगा।

19 मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होगें।

20 निर्धारित बालू/मोरम के खण्डो में स्थित पक्का पुल अथवा रेलवे पुल, आबादी, श्मशान अथवा अन्य सार्वजनिक स्थलो से 100 मीटर की परिधि के अन्दर कोई खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

21 विज्ञापित किये गये बालू/मोरम के खण्डो में उपलब्ध बालू की मात्रा, पहुँच मार्ग की स्थिति आदि का सत्यापन करने के उपरान्त ही किसी निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में बाद में किसी प्रकार की शिकायत पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

22 निविदाकार के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र से बालू/मोरम के खनन व परिवहन से यदि किसी तीसरे पक्ष को कोई क्षति पहुँचती है तो उसकी प्रति पूर्ति हेतु अनुज्ञप्ति धारक उत्तरदायी होगा।

(अजय कुमार सिंह)
जिलाधिकारी
महोबा।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।

2 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0।

3 प्रबन्धन निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।

4 निदेशक, सूचना, उ0प्र0।

5 राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, लखनऊ।

6 प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

7 उपजिलाधिकारी, महोबा कुलपहाड़, चरखारी को अपने–अपने सूचना पट एवं सम्बन्धित बालू/मोरम क्षेत्र के निकटतम स्थानों पर चस्पा करवाने हेतु प्रेषित।

8 जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 महोबा को जनपद–महोबा के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9 नाजिर, सदर, कलेक्ट्रेट महोबा को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
जिलाधिकारी
महोबा।